(13)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 70/2020

मुकेश कुमार लिपिक, सेठ मोतीलाल पी0जी0 कालेज, कमला शिक्षक विहार, क्वार्टर नं0 3 बी, राणी सती रोड, झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 70/2020 पर दिनांक 15.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्र कमांक पाठक /2020/1369 –1370 दिनांक 15.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/2086 दिनांक 21.09.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 11.08.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/519 दिनांक 17.08.2020 द्वारा सामान्य अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिसके कम मे सामान्य अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 843 दिनांक 26.08.2020 से अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र इस विभाग मे प्राप्त नही हुआ जिसके कम मे प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नही है तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक 1991 के द्वारा पत्र प्राप्ति शाखा को लिखा गया कि दी गई परिवेदना इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है या नही अगर प्राप्त हुई तो किस अनुभाग मे भेजी गई। पत्र प्राप्ति अनुभाग ने अवगत कराया कि मुकेश कुमार के नाम से 1 जुलाई 2020 के बीच कोई भी पत्र प्राप्त नही हुआ। अतः प्रथम अपील का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/2086 दिनांक 21.09.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 11.08.2020 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/519 दिनांक 17.08.2020 द्वारा सामान्य अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिसके कम मे सामान्य अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 843 दिनांक 26.08.2020 से अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र विभाग मे प्राप्त नही हुआ जिसके कम मे प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नही है तथा उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1991 के द्वारा पत्र प्राप्ति शाखा को लिखा गया कि दी गई परिवेदना कार्यालय मे प्राप्त हुई है या नही अगर प्राप्त हुई तो किस अनुभाग मे भेजी गई। पत्र प्राप्ति अनुभाग ने अवगत कराया कि मुकेश कुमार के नाम से 1 जुलाई 2020 के बीच कोई भी पत्र प्राप्त नही हुआ। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं
14/10/2020